उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3
सख्या-05/2017/582/84-3-17-नि0-11/2008,टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक 03 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय आदेश</u>

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश संख्या-06/2016/485/84-3-16-नि0-11/2008टी0सी0, दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा श्री प्रवीन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया था।

2- श्री प्रवीन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का स्थानान्तरण हो जाने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में किसी वित्त एवं लेखाधिकारी की तैनाती होने अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक श्री ऋषभ कुमार अग्रवाल वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को एतद्द्वारा शासकीय कार्यहित में उनके वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है। इस हेतु श्री ऋषभ कुमार अग्रवाल को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगें।

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>सख्या-05(1)/2017/582(1)/84-3-17तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवगतार्थ।
2- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री ऋषभ कुमार अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगमा
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
5- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7- उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in